

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 712
गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने हेतु

अपशिष्ट कचरे से उत्पादित विद्युत

712. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में आज की तिथि तक अपशिष्ट कचरे/सामग्री से कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया है;
- (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और
- (ग) सरकार द्वारा कचरे से ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कंपनियों, नगर निगमों तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ समझौता करने जैसी पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

- (क) देश में अब तक अपशिष्ट कूड़े/सामग्री से विद्युत उत्पादन के लिए कुल 291.34 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है।
- (ख) सरकार द्वारा कूड़े/सामग्री से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाएं स्थापित करने हेतु डेवलपर्स को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी गई है। सीएफए का वर्ष वार ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।
- (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से बायोगैस या बायो-सीएनजी या विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए “शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा पर कार्यक्रम” का कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

- क. बायोगैस उत्पादन: 1 करोड़ रुपए प्रति 12000 क्यू.मी. प्रति दिन;
- ख. बायो-सीएनजी उत्पादन (बायोगैस संयंत्र की स्थापना सहित): 4.0 करोड़ रुपए प्रति 4800 कि.ग्रा. प्रति दिन;
- ग. बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन (बायोगैस संयंत्र की स्थापना सहित): 1.50 करोड़ रुपए से 3.0 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट
- घ. नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन: 5.0 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट
- ड. बायोमास गैसीफायर:
- विद्युत अनुप्रयोगों के लिए दोहरे ईंधन इंजन के साथ 2,500 रुपए प्रति कि.वा. समतुल्य
 - विद्युत अनुप्रयोगों के लिए 100 प्रतिशत गैस इंजन के साथ 15,000 रुपए प्रति कि.वा. समतुल्य
 - तापीय अनुप्रयोग के लिए 2 लाख रुपए प्रति 300 कि.वा. थर्मल

अनुलग्नक

‘अपशिष्ट कचरे से उत्पादित विद्युत’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.09.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 712 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 31.08.2020 की स्थिति के अनुसार “शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट कार्यक्रम” के तहत अपशिष्ट/कचरे पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (चालू वर्ष)	कुल
1	दिल्ली	5.50	-	-	-	5.50
2	गुजरात	0.04	-	-	-	0.04
3	उत्तर प्रदेश	0.55	-	-	-	0.55
	कुल	6.09	-	-	-	6.09
